3495
23/7/13
3893
6/8/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद संख्या–19/2013–14 सन् 2013

श्रीमति रेणुका झा बनाम सुमन झा वगैरह ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद की कार्यवाही आवेदिका रेणुका झा जौजे–स्व0 चेतनाथ झा, ग्राम–ब्रहमपुर थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–03.04.2013 के आलोक मे प्रारंभ की गई है। इस वाद में सुमन झा पिता–स्व0 भोगेन्द्र झा (विपक्षी प्रथम पक्ष) एवं नथुनी पाठक पिता–स्व0 सौखी पाठक (विपक्षी द्वितीय पक्ष) दोनों ग्राम–ब्रहमपुर, थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा विपक्षी सदस्य है। इस वाद में विवाद के अन्तर्गत मौजा–ब्रहमपुर में अवस्थित निम्न व्योरे की भूमि है:– खाता नं0 — खेसरा नं0 — रकवा — चौहद्दी 103 (नया) — 225 (नया) 82 (पुराना) — 12 धुर — उत्तर–आवेदिका, दक्षिण–जीव नारायण झा, पूरव– भोगेन्द्र झा, पश्चिम–नथुनी पाठक इस्टर्न पार्ट) अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका के वाद पत्र पर उनके विद्धान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई तथा दिनांक–03.04.13 को ही विपक्षीयों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई जिसे दिनांक–16.04.13 को निवंधित किया गया। आवेदिका ने अपने वाद पत्र को शपथ–पत्र से समर्थित करते हुए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निर्धारित न्याय शुल्क मो0–100.00 (एक सौ) रूपये का मुद्रांक फ्रैकिंग मशीन नं0–3356 पर दिनांक–03.04.2013 को जमा कर दाखिल किया है। यह भी विदित होता है कि इस वाद मे दोनों विपक्षीयों में से केवल एक विपक्षी सुमन झा ने कार्रवाई में भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है तथा अपनी ओर से Objection Petition दाखिल किया है। विपक्षी नथुनी पाठक कार्रवाई में उपस्थित नही हो पाये है, जबकि उन्हें निबंधित सूचना दी गई थी। अभिलेख पर उपलब्द्ध आवेदिका एवं विपक्षी सुमन झा के दावे–प्रतिदावे पर विद्धान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई दिनांक–03.07.2013 को पूर्ण की गई हैं।	

13/07/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदिका ने अपने वाद में उल्लेख किया है कि ये और विपक्षी सुमन झा एक ही खानदान के है तथा इनके पूर्वज दुःखहरण झा थे और ये दुःखहरण झा के पोता–चेतनाथ झा की विधवा है तथा चेतनाथ झा के पिता–जगदीश झा थे। विपक्षी सुमन झा भी दुखःहरण झा के परपोता है जो दुखहरण झा के पुत्र सहदेव झा के पुत्रों में एक योगेन्द्र झा के पुत्र है। आवेदिका का कहना है कि C.S खतियान मे प्रश्नगत भूमि दुःखहरण झा के नाम दर्ज है तथा आपसी हिस्सा बँटवारा में विपक्षी के बाबा के हिस्से में मिली थी तथा उनके पारिवारिक बँटवारे में विपक्षी के चाचा रविन्द्र झा के हिस्से में मिली थी जिनकी विधवा मो0 संगीता देवी ने दिनांक–14.08.12 को प्रश्नगत भूमि इन्हें बयनामा निवंधित कर दखल कब्जा दे दिया जिस पर ये घर बनाने वास्ते ईट वगैरह सामग्री गिराई और निर्माण कार्य कराना शुरू की तो विपक्षी ने यह कहते हुए आपत्ति उठाया कि प्रश्नगत भूमि को उन्होंने नथुनी पाठक से हासिल किया है, जबकि नथुनी पाठक उनके या विपक्षी के परिवार के नहीं है, अपितु उनकी गरीबी को देखते हुए प्रश्नगत भूमि के पश्चिम तरफ 3–4 धुर भूमि दिया गया है। आवेदिका एवं विपक्षी ने यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में विपक्षी सं0– 2 नथुनी पाठक के नाम Recorded है। तब जाकर इन्होने R.S एवं C.S खतियान Information copy प्राप्त किया तो विपक्षी सं0–2 नथुनी पाठक के Foul Play की जानकारी हुई, जबकि उन्हें मात्र 3 से 4 धुर भूमि ही प्रश्नगत खेसरा में दी गई थी और नथुनी पाठक ने षडयंत्र कर entire 10 डी0 भूमि (प्रश्नगत भूमि सहित) अपने नाम R.S खतियान में दर्ज करा लिया है। आवेदिका ने R.S खतियान में Said entry को Wrong बताते हुए उल्लेख किया है कि साबिक सर्वे खतियानी रैयत के वारिश रविन्द्र झा की पत्नी से इन्होंने प्रश्नगत भूमि केवाला द्वारा हासिल किया है जिसपर विपक्षी सुमन झा को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदिका ने प्रश्नगत भूमि को हाल सर्वे खतियान मे अपने नाम entry कर खतियान को Correct करने का अनुरोध किया है। आवेदिका की ओर से मो0 संगीता देवी, पति–स्व0 रविन्द्र झा द्वारा लिखित केवाला बनाम मो0 रेणुका झा दिनांक–14.08.2012, खाता सं0–103 के खाताधारी नथुनी पाठक के नाम R.S खतियान, रैयती खतियान की Information copy, धारा –	

13/07/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	144 दं0 प्र0 सं0 अन्तर्गत वाद सं0–3217/12 के आवेदन एवं आदेश दिनांक–29.01.13, दिनांक–16.10.11 को सुमन झा एवं मनीष कुमार झा द्वारा सरपंच ब्रहमपुर, सकरी को दिया गया आवेदन की छायाप्रति दाखिल किया गया है। सुमन झा विपक्षी की ओर से दाखिल Objection Petition में कहा गया है कि आवेदिका का वाद Maintainable नहीं है, चूँकि वाद पत्र दाखिल करने का कोई ठोस कारण नहीं है और न आवेदिका को वाद पत्र दाखिल करने का कोई अधिकार है। आवेदिका का वाद खारिज होने के योग्य बताया गया है। विपक्षी ने कहा है कि उभय पक्ष के पूर्वज दुःखहरण झा थे, जो अपने छः पुत्रों को छोड़कर मरे तथा उनके सभी पुत्रों को प्रश्नगत भूमि पर equal right and interest है और जब तक उनके वारिशानों को आवेदिका द्वारा इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाता तब तक Suit आगे Proceed नहीं कर सकता। विपक्षी ने आवेदिका के Pleading तथा Matter को right and title के प्रश्न को लेकर उभय पक्षों के बीच Complicated होना कहा है तथा बताया है कि right and title संबंधी Complicated Matter का decide इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता, अतएव यह वाद dismissed के योग्य है। विपक्षी ने आगे उल्लेख करते हुए बताया है कि उभय पक्षों के पूर्वज दुःखहरण झा थे, परन्तु आवेदिका ने उनकी पूरी कुर्सीनामा का हवाला नही दिया है तथा आवेदिका का यह कहना सर्वथा गलत है कि प्रश्नगत भूमि रविन्द्र झा को हिस्से में मिली थी तथा उसे आवेदिका ने निवंधित बयनामा द्वारा हासिल किया है। विपक्षी ने कहा है कि सत्यता यह है कि प्रश्नगत भूमि का Partition नहीं हुआ, यह भूमि रविन्द्र झा को नहीं मिली और न हीं उसे आवेदिका ने हासिल किया, यदि आवेदिका कोई कागजात दाखिल करता है तो वह जाली फरेबी तथा बिना स्वत्वाधिकार वाले व्यक्ति से Execute कराया होगा जिसकी कोई बाध्यता दुःखहरण झा के वारिशानों के उपर नहीं हो सकती है। विपक्षी ने यह भी कहा है कि नथुनी पाठक परिवार के भगीनमान थे जिन्होंने अपने रहने के लिए परिवार के कर्त्ता से आवासीय Purpose के लिए भूमि देने का अनुरोध किया, परिवार के कर्त्ता ने बिना किसी कागजात के अच्छा संबंध होने के कारण जरसेमन राशि भुगतान पाकर प्रश्नगत खेसरा पर दखल कब्जा दे दिया और जब हाल सर्वे Operation हुआ तो प्रश्नगत खेसरा पर नथुनी पाठक का दखल कब्जा पाया गया इसलिए खतियान के remarks में मकानमय सहन दर्ज हुआ। इस प्रकार आवेदिका का यह कहना सर्वथा गलत है	

13/07/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	कि नथुनी पाठक को 3 से 4 धुर भूमि ही दिया गया था जिसके बदले 10 डी0 को खतियान में दर्ज करा दिया गया हैं। विपक्षी का दावा है कि नथुनी पाठक को रूपये की आवश्यकता थी जिन्होने अपनी 10 डी0 भूमि में से प्रश्नगत भूमि दिनांक–31.12.12 को इन्हें बयनामा निवंधित कर दखल कब्जा दे दिया जिसपर इनका दखल कब्जा चला आ रहा है। और जब तक नथुनी पाठक द्वारा दिनांक–31.12.12 को इनके पक्ष में निष्पादित बयनामा Void घोषित नही किया जाता तब तक प्रश्नगत भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति नही जा सकता। विपक्षी ने अन्ततः यह कहा है कि इस न्यायालय को Sale deed Cancell करने का Power नहीं है, बल्कि यह title का matter है जो इस न्यायालय के jurisdiction से बाहर का है। अतएव विपक्षी ने आवेदक के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया हैं। विपक्षी सुमन झा की ओर से दस्तावेज दिनांक–31.12.12 नथुनी पाठक बनाम सुमन झा, नथुनी पाठक के नाम Continuous खतियान, रैयती खतियान एवं जमाबंदी सं0 400 के अन्तर्गत नथुनी पाठक के नाम राजस्व वर्ष 2009–10 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे का समीक्षात्मक विश्लेषण किया तथा विद्धान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। विदित होता है कि इस वाद मे आवेदिका एवं विपक्षी सुमन झा एक ही खानदान के हैं जिनके पूर्वज दुःखहरण झा थे जिनके नाम साबिक सर्वे खतियान खाता नं0–32 खेसरा नं0–82 रकवा 37 डी0 का बना और यह उभय पक्षों द्वारा भी स्वीकृत तथ्य है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि नथुनी पाठक उभय पक्षों के भगीनमान है। आवेदिका ने अपने आवेदन के कंडिका–7 एंव 10 में यह स्वीकार किया है कि नथुनी पाठक को 3 से 4 धुर भूमि दिया गया था। परन्तु विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत खेसरा में नथुनी पाठक को 10 डी0 भूमि परिवार के कर्त्ता द्वारा दिया गया तथा हाल सर्वे ऑपरेशन के समय उसपर नथुनी पाठक का दखल कब्जा मकानमय सहन के रूप में पाया गया तो हाल सर्वे खतियान में नया नं0–103 खेसरा नं0–225 रकवा 10 डी0 का रैयती हक नथुनी पाठक का पाकर हाल सर्वे खतियान तैयार हुआ। विपक्षी के इस कथन की पुष्टि नथुनी पाठक के नाम जमाबंदी सं0–400 के तहत वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत राजस्व रसीद एवं Information खतियान के अवलोकन से होती है।	

13/07/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

आवेदिका का कहना है कि प्रश्नगत भूमि रविन्द्र झा को हिस्से में मिली थी जिनकी पत्नी से इन्होने खरीद किया है, जबकि विपक्षी का दावा है कि रविन्द्र झा को हिस्से में नहीं मिली थी, अपितु प्रश्नगत भूमि नथुनी पाठक की थी जिसे नथुनी पाठक ने दिनांक–31.12.12 को विपक्षी को बिक्री किया है जिसपर विपक्षी को दखल कब्जा एवं स्वत्वाधिकार प्राप्त है, तथा आवेदिका ने बिना स्वत्वाधिकार वाले व्यक्ति से बयनामा कराया है जो Void है।

उपरोक्त विवेचनोपरान्त प्रस्तुत वाद में ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बिक्रेताओं के स्वत्व का न्याय निर्णय करने का जटिल प्रश्न निहित है, चुँकि प्रश्नगत भूमि को भिन्न–भिन्न बिक्रेताओं से आवेदिका एवं विपक्षी सुमन झा ने भिन्न–भिन्न तिथियों को केवाला कराया है। साथ हीं एक पक्ष द्वारा दुसरे पक्ष केवाला को Void होना बताया जा रहा है, अतएव इस वाद में Sale deed Cancelletion का भी प्रश्न निहित है, जिसका निदान सक्षम व्यवहार न्यायालय से हीं संभव है। अतएव यह न्यायालय इस वाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के jurisdication से बाहर का है।

अतः इस वाद में Complex Question of adjudication of title involve होने तथा Sale deed Cancelletion का question involve होने के कारण बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 4(5) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस Proceeding को Close (बन्द) किया जाता है। व्यथित पक्षकार को निदेशित किया जाता कि Competent civil court के सक्षम अपने दावे की उपचार के लिये याचना करने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ इस कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एव शुद्धित

13/07/13

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

13/07/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।